



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002  
दूरभाष नं0 0135-2645249 फ़ैक्स नं0 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 1559/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी-4 (SH)

दिनांक: 21.09.2022

### कार्यालय ज्ञाप

“महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013” की धारा-4(1) के अन्तर्गत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (JT 1997(7) SC 384) में दिये गये निर्णय एवं मार्गदर्शन के अनुपालन में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 585/HR&Admn./ PTCUL/P-8 Date: 12.06.2009, यथा संशोधित 652/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी-4 दिनांक 03.04.20218 एवं 1521/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी-4 (SH) दिनांक 23.08.2021 के अनुक्रम में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु एतद्वारा “आन्तरिक शिकायत समिति” का पुर्नःगठन निम्नवत किया जाता है:-

1. श्रीमती अमिता लोहानी, पूर्व उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड - अध्यक्ष/वाह्य सदस्य
2. श्रीमती शालू जैन, उपमुख्य लेखाधिकारी - सदस्य
3. श्री विवेकानन्द, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य
4. श्रीमती मीनाक्षी भारती, अधिशासी अभियन्ता - सदस्य
5. श्री सिद्धार्थ अरोड़ा, सहायक अभियन्ता (जानपद) - सदस्य

अधिनियम की धारा-4(3) के अन्तर्गत उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गमन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक होगा।

उपरोक्त “आन्तरिक शिकायत समिति” पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को “महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013” के प्राविधानों के तहत स्वीकार कर उनका क्रियान्वयन एवं निस्तारण करेगी। समिति का यह भी दायित्व होगा कि प्राप्त शिकायत पर जाँच पूर्ण करने के उपरान्त अपनी आख्या तैयार कर मानव संसाधन विभाग, पिटकुल को उपलब्ध करायेगी, जिसकी प्रति सम्बन्धित पक्ष को भी उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही समिति अपने कार्य की वार्षिक आख्या तैयार कर समुचित स्तर पर प्रेषित करेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1559/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी-4(SH) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/निजी सहायक/डॉ0ए0आ0-निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल देहरादून को निदेशकगणों के सज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल (ई-मेल के माध्यम से)।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की प्रति को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समिति के सदस्यों को नाम से.....।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल (ई-मेल के माध्यम से)।

(आशोक कुमार जुयाल)  
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पिटकुल में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु  
"आन्तरिक शिकायत समिति" के सदस्यों का विवरण।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	समिति में पद	मोबाईल नं०	ई-मेल
1	श्रीमती अमिता लोहानी	पूर्व उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष / वाह्य सदस्य	9927772206	amitalohani@gmail.com
2	श्रीमती शालू जैन	उपमहाप्रबन्धक (वित्त)	सदस्य	7088117933	shalujain74@rediffmail.com
3	श्री विवेकानन्द	उपमुख्य कार्मिक अधिकारी (मा०सं०)	सदस्य	7088117975	spo@ptcul.org
4	श्रीमती मीनाक्षी भारती	अधिशारी अभियन्ता (डी०पी०आर० कॉस्टिंग)	सदस्य	7088117944	ee_costing@ptcul.org
5	श्री सिद्धार्थ अरोड़ा	सहायक अभियन्ता (जानपद)	सदस्य	7088117811	ae2_civil_p_ddn@ptcul.org